न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 114/2022

उनवान

1. श्री रतनलाल पिता कन्हैयालाल कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
2. श्रीमती हेमलता पुत्री कन्हैयालाल कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
3. पप्पूलाल पिता भगवान लाल नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
4. श्री भगवान पिता स्व0 कालूराम कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
5. श्री मोहन पिता स्व0 कालूराम कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
6. रोशन पुत्री स्व0 कालूरा कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
7. श्रीमती उदी पत्नि स्व0 कालूराम कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
8. श्रीमती लाली पुत्री नाना कुम्हार नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि स्व0 लादूलाल सालवी नि0 ओज्याडा तह हमीरगढ।
2. श्री रोशनलाल पिता स्व0 उदयलाल सालवी नि0 ओज्याडा तह हमीरगढ।
3. श्री भूरा पिता मोडा दरोगा नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
4. श्री शंकर पिता छोगा नाई नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
5. श्री शिवलाल पिता भूरा दरोगा नि0 ओज्याडा तह हमीरगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 29.09.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13–07–2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू0अ0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 582 की कृषि भूमि की आ0न0 2213/1994 रकबा 0.4299है0, कुल किता 01 रकबा 0.4299 है0, खाता संख्या 581 आ0न0 1988 रकबा 0.1138 है0, आ0न0 1989 रकबा 0.4299है0, आ0न0 1995 रकबा 0.7334है0, कुल किता 03 रकबा 1.2771है0, खाता संख्या 569 की आ0न0 2339/1994 रकबा 0.3794है0, आ0न0 2354/2066 रकबा 0.4679है0 कुल किता 02 रकबा 0.8473है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2022 को पंजीबद्व किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अ[illegible] स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार प[illegible]वेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:57 IST
Reason: SelfAttested

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को [illegible]श दिये जाते है **ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू0अ0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 582 की कृषि भूमि की आ0न0 2213/1994 रकबा 0.4299है0, कुल किता 01 रकबा 0.4299 है0, खाता संख्या 581 आ0न0 1988 रकबा 0.1138 है0, आ0न0 1989 रकबा 0.4299है0, आ0न0 1995 रकबा 0.7334है0, कुल किता 03 रकबा 1.2771है0, खाता संख्या 569 की आ0न0 2339/1994 रकबा 0.3794है0, आ0न0 2354/2066 रकबा 0.4679है0 कुल किता 02 रकबा 0.8473है0**

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1100/–रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:57 IST
Reason: SelfAttested